संख्या:24/2026/627ई-2/तेरह-2026-1788700

प्रेषक,

दयाराम

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त

उ.प्र., प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक: 12 अगस्त, 2026

विषयः-मेसर्स पशुपति एक्रीलोन लि., ग्राम मोहम्मदगंज, तहसील ठाकुरद्वारा, जनपद मुरादाबाद की केवल अनाज आधारित आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता 180 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 630 लाख लीटर से बढ़ाकर 240 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात 350 कार्य दिवस के के आधार 840 लाख लीटर वार्षिक निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याः-जी-20/दो-प्रा.डी.-274/पशुपति एक्रीलोन मुरादाबाद, दिनांक 17-06-2026 एवं पत्र संख्याः-जी-25/दो-प्रा.डी.-274/पशुपति एक्रीलोन मुरादाबाद, दिनांक 15-07-2026 तथा इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 04-08-2026 में लिए गये निर्णय संबंधी कार्यवृत्त संख्या:626ई-2/तेरह-2026-1788700, दिनांक 12-08-2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र दिनांक 17-06-2026, एवं 15-07-2026 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम की धारा 17 एवं 18 तथा ग्रेन से अल्कोहल उत्पादन किये जाने के संबंध में निर्गत शासनादेश दिनांक 26-03-2021 के क्रम में मेसर्स पशुपति एकीलोन लि., ग्राम मोहम्मदगंज, तहसील ठाकुरद्वारा, जनपद मुरादाबाद की केवल अनाज आधारित आसवनी की स्वीकृत अधिष्ठापित क्षमता 180 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात 350 कार्य दिवस के आधार पर 630 लाख लीटर वार्षिक से बढ़कर 240 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात 350 कार्य दिवस के आधार पर 840 लाख लीटर वार्षिक निर्धारित किये जाने अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः-

(1) ग्रेन से एथनॉल/अल्कोहल उत्पादन किये जाने हेतु इकाई द्वारा उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति को सुगम करने व

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अंतर्विभागीय सामजस्य स्थापित करने एवं उत्पादनकर्ताओं की कठिनाइयों को संज्ञान लेकर उन्हें दूर किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 26.03.2021 के प्रस्तर-3(4)(छ) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग व पशु उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्य पदार्थों की प्रदेश की वार्षिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन प्रश्नगत इकाई को करना होगा।

(2) आसवनी द्वारा उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) (तेरहवां संशोधन) नियमावली, 2019 एवं (आसवनी की स्थापना) (सोलहवां संशोधन) नियमावली, 2022 में उल्लिखित शर्तों एवं नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) आसवनी द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) द्वारा निर्धारित मानकों एवं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) इकाई द्वारा भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन किया जायेगा।

(5) आसवक द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के इन्वायरमेंटल क्लीयरेंस एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य विभागों से निर्गत सुसंगत अधिनियमों/नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(6) आसवक द्वारा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियम एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अल्कोहल का उत्पादन किया जाएगा।

(7) आसवनी द्वारा किसी भी दशा में वर्ष में अपनी वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता से अधिक उत्पादन नहीं किया जाएगा।

(8) इकाई द्वारा स्थापित किये जाने वाले संचय टैंकों एवं निकासी टैंकों पर राडार बेस्ड लेबल ट्रान्समीटर तथा संचय टैंकों एवं निकासी टैंकों के मध्य एवं निकासी टैंकों के पश्चात मास फ्लोमीटर लगाये जायेंगे।

(9) इकाई का आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराते हुये पोर्टल की सभी औपचारिकतायें पूर्ण की जायेगी।

(10) इकाई द्वारा उत्पादन हेतु प्रयुक्त किये जाने वाले फीड में परिवर्तन करने पर नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

(11) इकाई के मुख्य द्वार पर आने तथा जाने वाले वाहनों की नम्बर प्लेट को कैप्चर करने के लिये दो ANPR कैमरे स्थापित किये जायेंगे तथा वेमेन्ट ब्रिज पर भी दो ANPR कैमरे स्थापित किये जायेंगे। आसवनी में अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर भी कैमरें स्थापित कियें जायेंगे। कैमरों तथा राडार का इन्टीग्रेशन आबकारी विभाग के पोर्टल से कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(12) इकाई द्वारा ग्रेन साइलों में अनाज संचित करने के लिये बकेट एलीवेटर पर सामान्य रूप से दृश्य स्थान पर ग्लास प्लेट स्थापित की जायेगी। इसी प्रकार ग्रेन साइलो से प्लान्ट में अनाज ले जाने वाली कन्वेयर पर भी ग्लास प्लेट स्थापित की जायेगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि किस प्रकार के अनाज का भण्डारण/अंतरण किया जा रहा है।

(13) शासनादेश संख्या-864ई-2/तेरह-2023-107/2013 दिनॉक 10.05.2023 द्वारा प्रदेश में स्थित आसवनियों में अलग-अलग प्लाण्ट एवं संचय व्यवस्था होने पर अलग-अलग फीड से एक साथ अल्कोहल (एथनाल) उत्पादन किये जाने हेतु गाइड लाइन निर्धारित की गयी है, का आसवक द्वारा अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चितः किया जायेगा।

(14) प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही करने से पूर्व आबकारी आयुक्त, उ.प्र. द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई पर अद्यतन कोई राजस्व देयता/बकाया नहीं है।

(15) आबकारी आयुक्त द्वारा इस संदर्भ में लागू अन्य समस्त सुसंगत नियमों /नियमावलियों व शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

तद्नुसार कृपया अग्रतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दयाराम)
उप सचिव।

<u>संख्या:-24/2026/627(1)ई-2/तेरह-2026-1788700 एवं तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(दयाराम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in